



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 525] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1979/अग्रहायण 21, 1901
No. 525] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 12, 1979/AGRAHAYANA 21, 1901

इस भाग में छिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिसंज्ञक सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1979

का. आ. 793(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ उन्तालीसवां संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—

(1) “ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 3 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) ग्रामीण सड़कों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ;

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को छोड़कर), भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास और पोषाहार कार्यक्रम की नोडलीय जिम्मेदारी” ;

(2) “निर्माण और आवास मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 23इ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“23इ पेय जल आपूर्ति, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम सहित, और सफाई का प्रबंध।”

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[संख्या 74/2/3/79-मंत्रि.]

के. सहगल, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1979

S.O. 793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-ninth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading “Ministry of Rural Reconstruction (Gramin Punarnirman Mantralaya)”, in entry 3, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(a) direct responsibility for rural roads ;

- (b) nodal responsibility for elementary education, adult education, rural health, rural electrification, rural water supply (excluding centrally sponsored scheme of accelerated rural water supply), housing for landless rural labour and the nutrition programme”;
- (ii) under the heading “Ministry of Works and Housing (Nirman Aur Awas Mantralaya)”, for entry 23E, the following entry shall be substituted, namely:—
- “23E. Drinking water supply, including centrally sponsored scheme of accelerated rural water supply, and sanitation.”.

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74/2/3/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secy. to the Cabinet

